संख्या—भा0स0 25/14—2—2017—800 (165)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

ASO
03/02/17
eeNodal
03/02/17

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2 लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी 2017

विषयः— जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या—8बी/06/108/2016/431, दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में दिनांक 05—01—2017 को सम्पन्न हुई क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की गयी है।

2— विषयगत प्रकरण के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

B Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक :— 1639/11-C- FP/UP/Road/20685/2016, लखनऊ: दिनांक: फरवरी 03, 2017
प्रतिलिपि:— निम्न अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुओं की सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

1— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद।
2— प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
3— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, कौशाम्बी।

03/02/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

O/C

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/108/2016/एफ.सी. 1431

दिनॉकः 18-1-17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

विषयः जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मैनोरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ –: क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक– 05.01.2017 की कार्रवाई (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 09.12.2016 द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के पत्रांक–1383/11सी–FP/UP/Road/20685/2016, Dt. 03-01-2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सूचना अभी भी अधूरी प्रस्तुत की गयी है।

1. इस कार्यालय द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना में बिन्दु संख्या–11(सी) के अनुसार संशोधन नही किया गया है, अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अभी भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण में यह उल्लिखित किया गया है कि आवश्यकता पड़नें पर अतिरिक्त धनराशि की मांग बाद में की जा सकती है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राकल्लन अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया है।

2. बिन्दु संख्या 11(C) के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल के बारें में अभी भी सूचित नही किया गया है।

3. दिनांक–05.01.2017 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रस्ताव को सम्मिलित किया गया था जिसमें विचारोपरान्त प्रस्ताव को चाही गयी सूचनाओं के अभाव में एवं आॅनलाईन अपडेट न होने के कारण, चाही गयी सूचना के परिक्षणोपरान्त संतोषजनक प्राप्त होने पर अगली क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है

क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक– 05.01.2017 की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

ASO
CCF/Nodal
Aey 25-1-17
18/1/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी, उ0 प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी, उ0 प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

10/1/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1562/11-C-PPWN Road/20605/2016, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 27, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित उपरोक्त सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने का कष्ट करें।

1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कौशाम्बी।

संलग्नक सहित

27/1/17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ

ई-मेल
2.58 P.M.
2/2/17 Saurabh